

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प क्र.७.....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी**कुरुज**.....
 व भूअ.नि. **कुरुज**..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **रेलमगरा** / नायब
 तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम **माण्डिया खेडा** तहसील **रेलमगरा** व
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् **2077**..... में खाता संख्या **369**..... में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	माण्डिया खेडा	369	माधु पुत्र खेमा	माधवलाल माली पुत्र खेमा



 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- **230**
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- **4 OCT 2025**

1. तहसीलदार **रेलमगरा**..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी कलक्टर,
रेलमगरा